कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2021 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री अनिल कुमार (तृतीय), सचिव, नगर विकास विभाग।
2. श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग।
3. श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता (गंगा), उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से श्री अनिल कुमार (तृतीय), सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बंध में विभिन्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रदेश में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढ़ग से रोके जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

(अ) <u>सफाई व सेनीटाइजेशन</u>ः

1– बरेली, नगर निगम के उच्चस्तरीय भ्रमण के दौरान पाई गयी कमियॉ एवं मा0 विधायक से प्राप्त शिकायत के क्रम में सेनीटाइजेशन व सफाई की प्रभावी व्यवस्था नगर आयुक्त, बरेली द्वारा की जाये।

2– पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोविड–19 के बढ़ रहे मामलों की रोकथाम हेतु सफाई, सेनीटाइजेशन, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन आदि की व्यवस्थायें वहॉ भी प्राथमिकता पर की जाये।

3– जिन नगर निगमों द्वारा कोविड–19 से हुई मृत्यु (नियमित, आउटसोर्स व कार्यदायी संस्था) के विवरण नही उपलब्ध कराये गये है, उनके द्वारा तत्काल स्थानीय निकाय निदेशालय को सूचना उपलब्ध करायी जाये तथा कर्मचारियों को अनुमन्य benefits उनके परिवार को उपलब्ध कराया जाये।

4– नगर निगम व नगर पालिका परिषदों में नये सम्मिलित ग्राम पंचायतों व ग्रामों में बढ़ रहे कोविड–19 के मामलों को रोके जाने हेतु सफाई, सेनीटाइजेशन, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन आदि की व्यवस्थायें वहॉ भी प्राथमिकता पर की जाये।

5– नगर निगमों द्वारा विशेष सफाई अभियान के उपलब्ध कराये गये विवरणों में काफी भिन्नता पाई गयी, कुछ नगर निकायों द्वारा विशेष सफाई अभियान के साथ नियमित सफाई अभियान के डाटा को सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है, तो अन्य द्वारा मात्र विशेष सफाई अभियान के डाटा के अनुसार। इस सम्बंध में यह मत स्थिर हुआ कि शनिवार, रविवार व सोमवार को चलाये जा रहे विशेष सफाई अभियान में नियमित सफाई के विवरण को सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

6– विभिन्न नगर निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये कन्टेनमेन्ट जोन के विवरण में काफी अधिक भिन्नता पाई गयी। सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी प्रारूप के कालम–8 में मात्र कन्टेनमेन्ट जोन, माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन व बाजार तथा एकजाई आवासीय स्थलों की संख्या ही अंकित की जायें।

7– समस्त नगर निगमों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के कार्यो को बेहतर व प्रभावी ढ़ग से कार्यान्वित कराया जाये।

(ब) <u>मोहल्ला निगरानी समितियां:–</u>

1– कोविड–19 के बढ़ रहे मामलों को रोके जाने हेतु नगर निगम में गठित मोहल्ला निगरानी समितियों को और अधिक सक्रिय किया जाये एवं इस हेतु पृथक से एक सेल का गठन किया जाये एवं अपर नगर आयुक्तों को पृथक से इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी के रूप में लगाया जाये।

2– कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में मोहल्ला निगरानी समितियों द्वारा की जा रही स्क्रीनिंग की कार्यवाही के विवरणों को रिकार्ड कर संरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की जाये।

3– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दवाईयों की किटों का वितरण निगरानी समिति के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है, अतः इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4– दवाईयों की किटों की कमी होने की स्थिति में नगर आयुक्त, सम्बंधित जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करते हुए समस्त सक्रंमित व्यक्तियों तक किटों को पहुँचाया जाना सुनिश्चित करे।

(स) <u>फ्रन्ट लाइन वर्कर्स टीकाकरण एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता:</u>

1– नगर निगमों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रथम डोज व द्वितीय डोज के मध्य काफी अन्तर पाये जाने के क्रम में विशेष अभियान चलाकर फर्न्ट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2– विशेषतः नगर निगम आगरा, बरेली, कानपुर, मथुरा–वृन्दावन व लखनऊ को अपने फ्रन्ट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण और अधिक तेजी से कराते हुए 7 दिवस की अवधि में पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। चूँकि यहाँ स्थित विकट है।

(द) <u>अन्त्येष्टि स्थल:</u>

1– समस्त नगर आयुक्तों को जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए हरित शवदाह गृह (ग्रीन पायर्स) का निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये। लखनऊ व वाराणसी के पैटर्न पर मिलियन प्लस सिटी के न्यूनतम 02 तथा अन्य में न्यूनतम 01 हरित शवदाह गृह का निर्माण कराया जाये।

2– अन्त्येष्टि के फलस्वरूप प्रदूषण को कम करने एवं लकड़ी की बचत किये जाने हेतु 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में केन्द्रीय वित्त आयोग निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि से हरित शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने हेतु शासन द्वारा पत्र जारी किया जाये।

3– लखनऊ व बनारस द्वारा हरित शवदाह गृह के कराये जा रहे कार्यो के प्रस्ताव के अनुसार समस्त नगर निगमों द्वारा आगामी 2 माह की अवधि में इनका नियमानुसार निर्माण कराया जाये।

4– अन्त्येष्टि स्थलों पर कोविड–19 से ग्रस्त तथा अन्य शवों की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये। कोविड–19 का व्यय निगम द्वारा किया जाये।

(य) <u>पेयजल व्यवस्था:</u>

1– नगर निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार मांग व आपूर्ति की मात्रा में अन्तर पाया गया, जिसके दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि नगर निगमों द्वारा मांग व पूर्ति के गैप को कम करने के प्रयास प्राथमिकता पर किये जाये।

2– नगर निगम सीमा में सम्मिलित नये ग्रामों/क्षेत्रों में भी पेयजल की समुचित आपूर्ति हेतु विस्तृत परीक्षण कराया जाये।

3– रिपेयर योग्य समस्त हैण्डपम्पों व नलकूपों को तत्काल समस्त नगर निगमों द्वारा एक सप्ताह की अवधि में रिपेयर कराया जाये।

4– रिबोर योग्य हैण्डपम्पों व नलकूपों को रिबोर किये जाने का कार्य उ0प्र0 जल निगम को धनराशि उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकता पर कराया जाये।

5– बनारस नगर निगम को जिला योजना से धनराशि न प्राप्त होने की स्थिति में अन्य स्रोत से हैण्डपम्पों व नलकूपों को क्रियाशील कराया जाये।

6– अमृत योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति के कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाये।

(र) नाला सफाई:

1– नगर निगमों द्वारा नाला सफाई के कार्यो की मॉनीटरिंग हेतु एक सीनियर आफिसर को नियुक्त किया जाये एवं नाला सफाई के दौरान के रंज.स्वदह सहित फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराते हुए डिजीटल डायरी तैयार करायी जाये।

2– नाला सफाई के दौरान निकलनें वाली सिल्ट का उठान उसी दिन सुनिश्चित किया जाये।

3– सम्भावित वर्षाकाल से पूर्व उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर लाइनों की सफाई व मैनहोलों को ढ़कने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

4– अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर के कार्यो को प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

(ल) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

1– स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के कार्यान्वयन में प्रगति लाते हुए प्राथमिकता के आधार पर इनका कार्यान्वयन कराया जाये।

2– अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम अंश की धनराशि निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी शासनादेशों के क्रम में समस्त नगर निगमों द्वारा कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाये।

3– सम्बंधित नगर निगम द्वारा कोविड–19 से मृत नियमित कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेजुयटी तत्काल अपने स्तर से जारी की जाये।

4– निगमों के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में मास्क/शील्ड/ग्लब्स पहन कर भ्रमण करें एवं समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव, 17.5.21
नगर विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–7

संख्या– 557/नौ–7–2021–40(ज)/2020टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, समस्त सचिव, नगर विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, अमृत/स्मार्ट सिटी, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

17.05.2021

(कल्याण बनर्जी)

उप सचिव।